एमएसटी परिमलम बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार) (पृष्ठ 1)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

एमएसटी. परिमलम बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार)

न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार और न्यायमूर्ति एस.एस सरोन के समक्ष,

अपीलकर्ता - एमएसटी. परिमल्लम

बनाम

प्रतिवादी - हरियाणा राज्य

2000 की सीआरएल अपील संख्या 544/डीबी

6 फरवरी, 2003

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 302 - अपने मालिक की नवजात बेटी की लगभग छह महीने की उम्र में मृत्यु के आरोप में एक किरायेदार की दोषसिद्धि - अभियोग पक्ष के गवाहों के बयानों में कोई विरोधाभास या भौतिक विसंगति नहीं - चिकित्सक-साक्ष्य भी अभियोजन के मामले का काफी हद तक समर्थन करते हैं - पार्टियों के बीच संबंध अच्छे हैं - आरोपी को गलत तरीके से फंसाने का कोई

कारण नहीं - मकसद - अभियोग पक्ष आरोपी के खिलाफ मकसद स्थापित करने में विफल रहता है - मकसद अपने आप में एकमात्र मानदंड नहीं है। यह अभियुक्त के खिलाफ अपराध के निष्कर्ष की रिकॉर्डिंग को प्रभावित करेगा - अभियोग पक्ष का मामला किसी भी संदेह से परे साबित हुआ - अभियुक्त की दोषसिद्धि और सज़ा को बरकरार रखा जाना चाहिए।

माना जाता है कि अभियोग पक्ष का वह मामला कुछ हद तक अभियुक्त द्वारा स्वीकार भी किया गया है। मूल विवाद इस सवाल के इर्द-गिर्द घूमता है कि गोल्डी की मौत कैसे हुई यानी क्या वह चारपाई से पानी के टब में गिरने से मर गई, जिस पर उस आरोपी आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) द्वारा आरोप लगाया गया था या उसकी मौत डूबने से हुई थी जैसा कि अभियोग पक्ष ने कहा है। इन दोनों स्थितियों में से किसी एक पर लागू होने वाला परीक्षण निश्चित रूप से अलग और स्पष्ट है। अभियोग पक्ष को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना चाहिए, जबकि

एमएसटी परिमलम बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार) (पृष्ठ 3)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

बचाव पक्ष को संभावित साबित करके अभियोग पक्ष के मामले की सत्यता को झुका सकता है।

(अनुच्छेद 13)

आगे कहा गया कि नौकरानी की जांच न होने से अभियोग पक्ष के मामले पर कोई असर नहीं पड़ता है, जब जांच अधिकारी घटना के स्थान पर पहुंचे, तो नौकरानी वहां नहीं हो सकती है। एक छोटे बच्चे की मौत के सदमे के कारण अन्य लोग इस तथ्य का उल्लेख करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अभियोग पक्ष का मामला अन्यथा शिमोनी आनंद और श्रीमती जानकी देवी के बयानों से स्पष्ट होता है, जिनके पास आरोपियों को गलत तरीके से फंसाने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, इन परिस्थितियों में हम उठाए गए विवाद में कोई दम नहीं ढूंढ पा रहे हैं और अभियोग पक्ष द्वारा नौकरानी से पूछताछ न करने के लिए अभियोग पक्ष के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के इच्छुक नहीं हैं।

(अनुच्छेद 17)

एमएसटी परिमलम बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार) (पृष्ठ 4)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

इसके अलावा, यह माना गया कि एक अन्य प्रासंगिक कारक जिस पर अदालत को मामले का परीक्षण करते समय विचार करना होगा, जैसा कि अपील के दोनों पक्षों में से किसी एक ने साबित किया है, वह मकसद है। इसमें केवल एक संदर्भ है कि आरोपी अपनी जुड़वां बेटियों की मृत्यु के बाद साधु-संतों के पास जा रही थी और साधन ढूंढ रही थी ताकि उसे एक बच्चे का आशीर्वाद मिल सके। अभियोग पक्ष के नेतृत्व में इस आरोप का समर्थन करने के लिए कोई ठोस और निश्चित सबूत नहीं है। संभवत: आरोपी के लिए ऐसा अपराध करने का प्रलोभन हो सकता है। लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कोई मकसद स्पष्ट नहीं होता ।

एमएसटी परिमलम बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार)

मकसद अपने आप में एकमात्र मानदंड नहीं है जो अदालत द्वारा आरोपी के खिलाफ अपराध के निष्कर्ष की रिकॉर्डिंग को प्रभावित करेगा। यह एक प्रासंगिक कारक है। मकसद अभियोग पक्ष के मामले को महत्वपूर्ण रूप से या निश्चित सीमा तक समर्थन

दे सकता है। केवल उद्देश्य की स्थापना एक दोषसिद्धि को आधार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(अनुच्छेद 18)

आगे कहा गया कि पक्षों के बीच संबंध अच्छे थे और जिस दिन से उन्होंने परिसर में रहना शुरु किया, उस दिन से किसी भी समय कोई विवाद नहीं था, पक्षों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। मामले की परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर पेश किए गए सबूतों में उचित परीक्षण को संतुलित करते हुए, अदालत के लिए इस मामले में अभियुक्त के झूठे निहितार्थ का अनुमान लगाना मुश्किल है।

(अनुच्छेद 19)

आर. एस. चीमा, वरिष्ठ वकील के साथ

एम. जे. एस. वराइच, अपीलकर्ताओं के वकील।

प्रतिवादी की ओर से जी.पी.एस नागरा, वकील ।

एमएसटी परिमलम बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार) (पृष्ठ 6)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

निर्णय

न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार

(1) राज्य की जांच एजेंसी की मशीनरी तब हरकत में आई जब सुश्री शिमोना आनंद, पुत्री डा. हरीश आनंद, निवासी मकान नंबर 23, बैंक कॉलोनी, करनाल ने 8 अक्तूबर, 1996 को प्रभारी, पुलिस चौकी, सिविल लाइंस, करनाल में एक शिकायत दर्ज कराई । रूका का सही अनुवाद जिसमें शिकायत की सामग्री शामिल है जो ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड में पूर्व पीजी थी। शिकायत में दिए गए कथन निम्नानुसार हैं-

"याचिका में कहा गया है कि मैं अपने माता-पिता के साथ करनाल के बैंक कॉलोनी के मकान नंबर 23 में रह रहा हूँ । मेरे पिता डॉ. हरीश आनंद एन.डी.आर.आई. करनाल में कर्मचारी हैं। मेरी मां श्रीमती सोभा आनंद सेंट थेरेसा कॉन्वेंट स्कूल, करनाल में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। मेरे भाई गिरीश आनंद की शादी लगभग 2 साल पहले चंडीगढ़ निवासी अंजू के साथ हुई थी। मेरे भाई की एक बेटी थी जिसकी उम्र लगभग छह महीने थी। मेरा भाई और भाभी (भाई की पत्नी) अंजू दोनों करनाल में कार्यरत हैं,

एमएसटी परिमलम बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार) (पृष्ठ 7)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

जबकि मैं और मेरी नानी श्रीमती जानकी देवी घर में रह रहे हैं। हमेशा की तरह मेरे माता-पिता, भाई और भाभी को अपनी-अपनी नौकरी में जाना पड़ता है। डॉ. चिन्ना दुरई और उनकी पत्नी डॉ. परिमल्लम पिछले लगभग 1-1.5 वर्षों से हमारे घर की पहली मंजिल पर किराएदार के रूप में रह रहे हैं। दोनों पति-पत्नी एन.डी.आर.आई, करनाल में कार्यरत हैं। कुछ महीने पहले, डॉ. चिन्ना को दो महिला बच्चों का आशीर्वाद मिला था, जो तब से मृत हैं। बेटियों की मौत के बाद परिमल्लम कई बार साधु-संतों के पास जाया करते थे। आज दोपहर करीब 12.00 बजे हमारे किराएदार डॉ. परिमल्लम मेरे भाई की बेटी गोल्डी को खेलने के बहाने घर के ऊपरी हिस्से में ले गए। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब डॉ. परिमल्लम ने मेरी भतीजी गोल्डी को नीचे नहीं उतारा, तो मैं डॉ. परिमल्लम के किराए वाले घर के ऊपरी हिस्से में चढ़ गया, जहां मैंने देखा कि डॉ. परिमल्लम गोल्डी को उसके पैरों से पकड़कर खड़े थे और उसने अपना मुंह प्लास्टिक की बाल्टी में डाल दिया था जो स्नान कक्ष में पानी से भरा था। यह देखकर मैंने शोर मचाना शुरु कर दिया, जिसके बाद डॉ. परिमल्लम बालक गोल्डी को बाल्टी में छोड़कर भाग गए। शोर सुनकर मेरी नानी जानकी देवी सीढ़ियों से ऊपर आईं और बच्ची को बाल्टी से बाहर निकाला और उसे

चारपाई पर लिटा दिया। इसके बाद, मैंने टेलीफोन द्वारा संदेश के माध्यम से अपने माता-पिता, भाई और भाभी को इस घटना की सूचना दी और कुछ समय बाद मेरे माता-पिता घर पहुंचे। उनके आने के तुरंत बाद, मैं अपने माता-पिता के साथ गोल्डी को सरकारी अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरी भतीजी की हत्या डॉ. परिमल्लम ने पानी से भरी बाल्टी में डुबोकर की है। आपसे अनुरोध है कि परिमल्लम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।

(2) उपर्युक्त के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (इसके बाद संहिता के रूप में संदर्भित) के तहत 8 अक्टूबर, 1996 को दोपहर 3.50 बजे पुलिस स्टेशन, सिटी करनाल, ज़िला करनाल में एफआईआर संख्या 950 पूर्व पीजी/3 दर्ज की गई थी। पूर्व पीजी/1 पुलिस चौकी द्वारा पुलिस स्टेशन को भेजी गई रूका पर पुलिस कार्यवाही का समर्थन था। एसआई राज कुमार, प्रभारी, पुलिस चौकी, सिविल लाइन, ने जांच/पूछताछ को आगे बढ़ाया और सामान्य अस्पताल, करनाल गए।

(3) डॉ. सुनील कुमार मिड्ढा, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, जो पीडब्ल्यू के रूप में उपस्थित हुए। 1., छह महीने की शिशु बच्ची की जांच की। डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पुलिस के पूर्व पीए के आवेदन पर उसे मृत घोषित कर दिया गया और मृत बच्चे के शव का पोस्टमार्टम किया गया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक चारों अंगों में रिगोर मोर्टिस मौजूद था। नाक से खून का स्राव निकल रहा था। पोस्टमार्टम के बाद आश्रित भागों में धुंधलापन मौजूद था। स्वरयंत्र और श्वासनली के श्लैष्मिक संकुचित थे और इसमें आगे के स्राव शामिल थे। दोनों फेफड़े विकृत थे और एडिमेटस और कट सेक्शन में झागदार रक्त से सना तरल पदार्थ दिखाई दिया। दिल स्वस्थ था और दाईं ओर रक्त था। पेट स्वस्थ था और इसमें लगभग 50 सीसी पानी का तरल पदार्थ था। यकृत, तिल्ली और गुर्दे तंग थे। बाकी सभी अंग स्वस्थ थे। मेडिकल बोर्ड द्वारा घोषित मृत्यु का कारण निम्नानुसार था -

एमएसटी परिमलम बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार) (पृष्ठ 10)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

"हमारी राय में इस मामले में मौत का कारण डूबने के कारण दम घुटना था, जो प्रकृति में पोस्टमार्टम से पहले की प्रकृति थी और जीवन के सामान्य अवधि में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी।"

चोट और मृत्यु के बीच का समय कुछ मिनटों के भीतर था और मृत्यु और पोस्टमॉर्टम के बीच का समय 36 घंटों के भीतर था। पूर्व पीबी पोस्टमार्टम की कॉर्बन कॉपी है। जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट तैयार की । पूर्व पी एल इसके अलावा, - कब्जा ज्ञापन के माध्यम से। पूर्व पीएच उन्होंने प्लास्टिक की बाल्टी को कब्जे में ले लिया और जांच पूरी करने और सीआरपीसी की धारा 161 के तहत गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद। चालान अदालत में पेश किया गया था। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट एक्स डीएक्स और एक्स डीएक्स / 1 हैं।

(4) दो अभियुक्तों नामित डा. श्रीमती परिमल्लम और उनके पति डा. चिन्ना दुरई को विद्वान मजिस्ट्रेट ने संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए मुकद्दमा चलाने के लिए सत्र न्यायालय में ले जाया था। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध निम्नलिखित आशय

के आरोप विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11 मार्च, 1997 के अपने आदेश के द्वारा निर्धारित किए गए थे -

"मैं, एन.के जैन, सत्र न्यायाधीश, करनाल, आप पर निम्नानुसार आरोप लगाता हूँ : -

8 अक्तूबर, 1996 को करनाल शहर, पुलिस स्टेशन, शहर करनाल के क्षेत्र में चिन्नादुरई की पत्नी डा. परिमल्लम ने गिरीश आनंद की पुत्री गोल्डी की जान-बूझकर हत्या की और इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत और मेरी सहमति से दंडनीय अपराध किया।

उसी तारीख और स्थान पर, आपने डा. चिन्नादुरई ने अपनी पत्नी डा. परिमल्लम के साथ अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए गिरीश आनंद की पुत्री गोल्डी की हत्या कर दी और इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध किया।

या वैकल्पिक रूप से आप दोनों डा. परिमल्लम और डा. चिन्नादुरई ने एक ही तारीख, समय और स्थान पर गोल्डी की हत्या करने की साजिश रची और षड्यंत्र/समझौते को आगे बढ़ाते हुए परिमल्लम ने गिरीश आनंद की बेटी गोल्डी की हत्या की और इस तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत और मेरे संज्ञान में दंडनीय अपराध किया और मैं आपको निर्देश देता हूँ कि उपरोक्त आरोप पर इस अदालत द्वारा मुकद्दमा चलाया जाए।

(5) उपरोक्त आरोप को साबित करने के लिए, अभियोग पक्ष ने 10 गवाहों से पूछताछ की और रिकॉर्ड के रूप में विभिन्न दस्तावेज पेश किए गए। 4 जनवरी, 1999 को लोक अभियोग ने एक वक्तव्य दिया, मैं अभियोग पक्ष के साक्ष्य समाप्त करता हूँ । आरोपी परिमल्लम का बयान 11 जनवरी, 1999 को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया था। हालांकि, अन्य आरोपी डॉ. चिन्ना दुरई के बयान की रिकॉर्डिंग को ट्रायल कोर्ट द्वारा स्थगित कर दिया गया था। अगले ही दिन दलीलें सुनी गईं और 12 जनवरी,

एमएसटी परिमलम बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार) (पृष्ठ 13)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

1999 के आदेश के तहत न्यायालय ने डा. चिन्नादुरई को उनके विरुद्ध तय किए गए आरोपों से बरी कर दिया। उक्त आदेश का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

अधिकारी ने कहा, "सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी परिमल्लम का बयान दर्ज किया गया है, जिसमें उसने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है. आज सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी चिन्नादुरई का बयान दर्ज करने के सवाल पर आगे की कार्यवाही के लिए मामला तय किया गया। अभियोग पक्ष की अगुवाई में सबूतों के विवरण से यह स्पष्ट है कि चिन्नादुरई आरोपी के खिलाफ फाइल पर कोई भी सबूत नहीं है जो उसे लगाए गए अपराध से जोड़ता है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उसके बयान की रिकॉर्डिंग को छोड़ दिया जाता है। इस आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने के कारण, चिन्नादुरई आरोपी को उसके खिलाफ तय किए गए आरोपों से बरी किया जाता है। आरोपी चिन्नादुरई हिरासत में है। यदि वह किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा।

एमएसटी परिमलम बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार) (पृष्ठ 14)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

अभियोग पक्ष के लिए साक्ष्य लेने के बाद आरोपी परिमल्लम से पूछताछ कर मामले पर अभियोग पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनीं। मेरी राय है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 232 के तहत बरी कर दिया जाए। इसलिए मैं उनसे आह्वान करता हूं कि वह अपने बचाव में आगे आएं और इसके समर्थन में उनके पास जो भी सबूत हों, उन्हें जोड़ें। इस मामले में कार्यवाही एक फरवरी, 1999 तक के लिए स्थगित की जाती है।

(6) सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में आरोपी परिमल्लम ने कहा था कि उसने अपराध नहीं किया था और सही तथ्य थे : -

उन्होंने कहा, 'मैंने गोल्डी की हत्या कभी नहीं की, जो अब मर चुकी है। कथित घटना के दिन, मैं अपनी स्त्री रोग संबंधी समस्या के कारण अपने कपड़े बदलने के लिए अपने घर आई थी। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि घर के बैक कोर्ट यार्ड में चारपाई के पास पानी से भरा एक टब पड़ा हुआ था। गोल्डी, जो काफी स्वस्थ थी और दाएं और बाएं चलने की स्थिति में थी और बैठना सीखने की प्रक्रिया में भी थी, पानी से भरे टब

में गिर गई । क्योंकि खाट पाइप वाली बांहों वाली फोल्डिंग वाली थी । उस समय गोल्डी की नानी कमरे के अंदर काम कर रही थी और नौकरानी कपड़े धो रही थी। बच्ची गोल्डी चारपाई से पास पड़े पानी से भरे प्लास्टिक के टब के अंदर गिर गई थी। जब मैं वहां पहुंची तो बच्ची लगभग डूब चुकी थी । इसके तुरंत बाद, मैंने शोर मचाया और बच्ची को बचाने के लिए उसे टब से निकाला । मेरी आवाज़ सुनकर बच्ची की नानी भी वहां पहुंच गई और उसके बाद हम दोनों ने बच्ची की पीठ रगड़कर उसे बचाने की कोशिश की और उसे नीचे की तरफ भी मोड़ दिया ताकि पानी निकल जाए, लेकिन सब बेकार रहा। शिमोना पीडब्ल्यू उस दिन मौजूद नहीं थी। इसके बाद मृतका के परिवार के सदस्यों ने मुझे दोष देना शुरु कर दिया और फिर मैं अपने पति को सूचित करने के लिए घर से चली गई, जो उस समय कार्यालय में थे। बाद में, मुझे पता चला कि शिकायतकर्ता पक्ष ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर मेरे और मेरे पति के खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज कराया, जिससे घटना को हत्या का रूप दिया गया, हालांकि यह बच्चे का दुर्घटनावश पानी में गिरा था। मैं निर्दोष हूँ । उन्होंने अपने पति डॉ. चिन्ना दुरई से भी डीडब्ल्यू 1 के रूप में पूछताछ की और बचाव पक्ष के सबूतों को बंद कर दिया।

(7) विद्वान सत्र न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य की सराहना करने के बाद अभियुक्त श्रीमती परिमल्लम को संहिता की धारा 302 के तहत अपराध का दोषी पाया। सज़ा की अवधि के सवाल पर उसे सुनने के बाद और आरोपी के बयान को ध्यान में रखते हुए कि उसके साथ लगभग तीन साल की एक नाबालिग लड़की थी और सज़ा के मामले में नरम दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रार्थना की थी, उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और धारा 302 के तहत अपराध के लिए 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। इसके अलावा, यह भी निर्देश दिया गया था कि यदि जुर्माना वसूला जाता है तो बच्चे के माता-पिता को 10,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप अभियुक्तों द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2000 को दोषसिद्धि और सज़ा दोनों के निर्णय के विरुद्ध वर्तमान अपील दायर की जा रही है।

(8) अभियुक्त की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने यह कहते हुए अपनी दलीलें शुरु की कि अभियोग मामले के कुछ तथ्य विवाद में नहीं हैं। इस तरह के निर्विवाद तथ्यों को

एमएसटी परिमलम बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार) (पृष्ठ 17)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियोग पक्ष के मामले और आरोपी के बयान से लिया जा सकता है। दोनों पक्ष एक-दूसरे को जानते थे । आरोपी और उसका पति उसी परिसर की पहली मंज़िल पर किराएदार थे, शिकायतकर्ता भूतल का मालिक था । बच्चे गोल्डी के जन्म पर कोई विवाद नहीं है और साथ ही यह तथ्य भी है कि आरोपी भी उक्त बच्चे को जानते हैं।

(9) मूल और प्रारंभिक प्रश्न जिसका सटीक उत्तर अपेक्षित है, वह यह है कि 8 अक्तूबर, 1996 को वास्तव में क्या हुआ था? आरोपी ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि घटना के समय वह घर पर गई थी। हालांकि, उसका मामला यह है कि पीछे की कोर्ट-यार्ड में पहुंचने पर उसने देखा कि गोल्डी टब में गिर गई थी जहां नौकर कपड़े धो रहा था। बच्ची गोल्डी चारपाई के पास पड़े पानी से भरे प्लास्टिक के टब में चारपाई से गिर गई। जब वह वहां पहुंची तो बच्ची लगभग डूब चुकी थी। इसके बाद उसने बच्चे को बचाने के लिए उसे टब से उठाया। इसी दौरान आरोपी के शोर मचाने पर बच्चे की दादी वहां पहुंची और दोनों ने बच्चे की पीठ को रगड़ना शुरु कर दिया ताकि पानी बाहर निकल सके,

लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुश्री शिमोना आनंद पीडब्ल्यू -7 उस तारीख को घर पर मौजूद नहीं थीं। वह अपने झूठे निहितार्थ का दावा करती है।

(10) अभियोग पक्ष का मामला भी कुछ हद तक समान है, सिवाय इस हद के कि शिमोनी आनंद पीडब्ल्यू 7 और श्रीमती जानकी देवी पीडब्ल्यू 8 दोनों कथित चश्मदीद गवाह हैं, आरोपी कार्यालय से आए थे और बच्चे को घर की पहली मंजिल पर ले गए थे जहां उसने बच्चे को पानी से भरी बाल्टी में डुबोने के बाद मार डाला। आरोपी परिमल्लम द्वारा गोल्डी को उसके पैरों से पकड़े हुए और पानी की बाल्टी में नीचे की ओर चेहरा डुबोए जाने के कृत्य को श्रीमती शिमोनी आनंद पीडब्ल्यू 7 और श्रीमती जानकी देवी पीडब्ल्यू 8 ने बाद में देखा, लेकिन इस बीच आरोपी चले गए। आरोपी और उसके पति दोनों को पुलिस ने काफी बाद में पकड़ लिया था।

(11) अभियुक्तों के विद्वान वकील ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि अभियोग पक्ष के मामले में गंभीर कमियां हैं और स्पष्ट रूप से अभियोग पक्ष का संस्करण अविश्वसनीय है और कहानी भारी भरकम है। उनके अनुसार, सुश्री शिमोना आनंद,

पीडब्ल्यू 7, चंडीगढ़ में पढ़ रही थीं और घटना के दिन घटना के स्थान पर नहीं थीं। घटना के समय और मामला दर्ज होने के बीच देरी का फायदा उठाते हुए बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। घटनास्थल पर मौजूद नौकरानी से पूछताछ नहीं की गई थी और वास्तव में अभियोग पक्ष द्वारा जानबूझकर उसे वापस रखा गया है। पड़ोस से कोई नहीं आया, इस तथ्य के बावजूद कि सुश्री शिमोना आनंद पीडब्ल्यू 7 ने अलार्म बजाने का दावा किया है।

(12) वकील द्वारा उजागर किया गया एक और प्रासंगिक तथ्य यह है कि दोनों गवाहों यानी सुश्री शिमोनी आनंद पीडब्ल्यू 7 के साथ-साथ जांच अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि "बाल्टी पानी से भरी थी"। यह असंभव है क्योंकि अभियोग पक्ष के अनुसार, बच्चे को पानी से भरी बाल्टी में डूबकर मार दिया गया था और इस तरह पानी विस्थापित होना तय है और यहां तक कि फर्श पर बह जाएगा और बाल्टी भरी नहीं रह सकती है। अंत में, उन्होंने तर्क दिया कि अभियोग पक्ष आरोपी के पति द्वारा आरोपी के खिलाफ डॉ. एन. बालारमन पीडब्ल्यू 5 और वेद प्रकाश पीडब्ल्यू 6 को कथित तौर पर किए गए

तथाकथित न्यायेतर कबूलनामे से कोई लाभ नहीं उठा सकता है। इन परिसरों पर यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोग पक्ष किसी भी उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में विफल रहा है।

(13) हम पहले ही ऊपर देख चुके हैं कि अभियोग पक्ष का मामला कुछ हद तक अभियुक्त द्वारा स्वीकार भी किया जाता है। मूल विवाद इस सवाल के इर्द-गिर्द घूमता है कि गोल्डी की मौत कैसे हुई, यानी क्या वह चारपाई से पानी के टब में गिरने से मर गई, जिस पर वह आरोपी द्वारा आरोप लगाया गया था, या वह डूबोने से मर गई थी, जैसा कि अभियोग पक्ष द्वारा कहा गया था, विशेष रूप से सुश्री शिमोनी आनंद, पीडब्ल्यू 7 और श्रीमती जानकी देवी, पीडब्ल्यू 8। इन दोनों स्थितियों में से किसी एक पर लागू होने वाला परीक्षण निश्चित रूप से अलग और अलग है। अभियोग पक्ष को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना चाहिए, जबकि बचाव पक्ष को संभावित साबित करके अभियोग पक्ष के मामले की सत्यता को झुका सकता है।

(14) सुश्री शिमोनी आनंद पीडब्ल्यू 7 की उपस्थिति पर शायद ही संदेह किया जा सकता है क्योंकि उसने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे उस कॉलेज के छात्रावास वार्डन से लिखित में अनुमति मिली थी जहां वह चंडीगढ़ में पढ़ रही थी। मृतक बच्ची उसकी भतीजी (भाई की बेटी) थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी व्यक्तियों के साथ सामान्य संबंध थे और यहां तक कि कई मौकों पर वे एक साथ रात का खाना खाते थे। उसके अनुसार, आरोपी ने अपनी जुड़वां बेटियों को खो दिया था और उसके बाद वह साधु-संतों के पास जा रही थी ताकि उसे एक बच्चा हो सके और उसने गोल्डी की हत्या की थी। वह घटना की चश्मदीद गवाह है। उनके सामने रखे गए सभी सुझावों को उन्होंने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था। जब उसने शोर मचाया, तो उसकी दादी जानकी देवी पीडब्ल्यू 8 भी सीढ़ियों से ऊपर आ गई थी, जहां परिमल्लम ने बच्चे को मार डाला था। उसकी दादी मां ने बच्चे को चेहरे के साथ नीचे की ओर रखा ताकि उसके पेट से पानी निकल सके। इस संस्करण को पीडब्ल्यू 8 जानकी देवी द्वारा पूरी तरह से समर्थित किया गया था जो उनकी नानी मां थीं। शिमोनी आनंद पीडब्ल्यू 7 और श्रीमती जानकी देवी पीडब्ल्यू 8 की जिरह कमोबेश आम है। उनसे जिरह में ऐसा कुछ भी ठोस

नहीं लाया गया है जो अभियोग की कहानी को ध्वस्त कर सके। उनके बयानों में कुछ सुधारों को इंगित किया गया है, लेकिन वे सुधार बहुत मामूली हैं और किसी भी तरह से अभियोग पक्ष के मामले को प्रभावित नहीं करते हैं। जिस बाल्टी में गोल्डी को डुबोकर मारा गया था, उसे जांच अधिकारी ने पूर्व पी.एल. द्वारा कब्जे में ले लिया गया था ।

(15) वकील द्वारा यह दावा किया गया था कि "पानी से भरी बाल्टी" की अभिव्यक्ति अभियोग पक्ष के मामले को पूरी तरह से गलत साबित करती है। हम इस विवाद से ज्यादा प्रभावित नहीं हैं। यह अभिव्यक्ति से दूर है और इसका शाब्दिक अर्थ यह नहीं है कि बाल्टी पूरी तरह से भरी हुई थी। जिस बाल्टी में बच्चा डूब गया था, उससे पानी का विस्थापन इतना अधिक नहीं होगा जितना विशिष्ट रूप से देखा जा सके क्योंकि बच्चे का वजन लगभग दो किलोग्राम से अधिक था। निश्चित रूप से कुछ पानी बाहर गिरा होगा, लेकिन इसकी सीमा इतनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है कि गवाहों द्वारा कहा जा सके कि बाल्टी आधी भरी हुई थी। यह, हमारे लिए, बाल्टी में पानी की सटीक मात्रा को

परिभाषित करने के बजाए अभिव्यक्ति का एक तरीका प्रतीत होता है। गवाह के बयान को समझा जाना चाहिए जैसा कि आम बोलचाल में बोला और समझा जाएगा।

(16) शिमोनी आनंद पीडब्ल्यू 7 के अनुसार, नौकरानी किरण दोपहर 12.00/1.00 बजे के बीच आई थी क्योंकि उसके पास कोई निश्चित समय नहीं था। हालांकि, श्रीमती जानकी देवी पीडब्ल्यू 8 ने कहा कि, "हमारी नौकरानी घर के अंदर थी। मुझे याद नहीं कि उस दिन हमारी नौकरानी किस समय आई थी। मेरा दामाद दोपहर लगभग 12.45 बजे घर पहुंचा था। दो गवाहों के बयानों में इस विसंगति या विरोधाभास को अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा फिर से एक भौतिक विरोधाभास के रूप में उजागर किया गया था। हमारे विचार में यह एक विरोधाभास या भौतिक विसंगति नहीं है। शिमोनी आनंद पीडब्ल्यू 7 और श्रीमती जानकी देवी पीडब्ल्यू 8 दोनों ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत या अदालत के समक्ष दर्ज अपने बयानों में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि घटना के समय, नौकरानी मौजूद थी और उसने अपराध देखा था। हम इसे ऐसी परिस्थिति नहीं मानते हैं जिससे उक्त नौकरानी को न्यायालय के समक्ष पेश न किए जाने या पीडब्ल्यू

7 और पीडब्ल्यू 8 के बयानों पर संदेह करने के लिए कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सके। चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार गोल्डी की मृत्यु एस्फिक्सिया के कारण हुई और यह चिकित्सा साक्ष्य अभियोग पक्ष के मामले का काफी समर्थन करता है।

(17) मामले के जांच अधिकारी राज कुमार, उप निरीक्षक पीडब्ल्यू 10 के रूप में गवाह बॉक्स में दिखाई दिए। उन्होंने रिकॉर्ड में मौजूद पूरे सबूतों का हवाला दिया। अपने परीक्षा-इन-चीफ में ही उन्होंने कहा कि घर के ऊपरी हिस्से के स्नान कक्ष में पानी से भरी एक बाल्टी पड़ी थी और पानी फेंकने के बाद, उन्होंने उक्त बाल्टी को कब्जे में ले लिया। इस गवाह से जिरह के परिणामस्वरूप रिकॉर्ड पर जो एक और प्रासंगिक तथ्य सामने आया, वह यह है, "मैं 23 अक्टूबर, 1996 तक आरोपी की तलाश करता रहा और 23 अक्टूबर, 1996 को एसपी करनाल को एक फैक्स मैसेज प्राप्त हुआ, इस आशय का कि दोनों आरोपियों ने उस दिन चेन्नई में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने साइट प्लान एक्स पीएन/2 भी तैयार किया था। इस गवाह को जिरह के दौरान एक सुझाव दिया गया था कि नौकरानी घर में मौजूद थी और उसने

जानबूझकर जांच में उसका साथ नहीं दिया। इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया था। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में आरोपी ने कहा था कि उसके आने पर नौकरानी कपड़े धो रही थी। बचाव पक्ष को पता था कि नौकरानी का नाम न तो गवाह के रूप में था और न ही पूरे मुकदमे के दौरान उससे पूछताछ की गई थी। इसके अलावा यह भी ज़ात था कि बचाव पक्ष के मामले के अनुसार, उसने पूरी घटना देखी थी जो बचाव पक्ष के पक्ष का समर्थन कर सकती थी। उसे तलब करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, जबकि बचाव पक्ष का नेतृत्व आरोपी ने किया था। अन्यथा भी हमारा विचार है कि नौकरानी से पूछताछ न करने से अभियोग पक्ष के मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जब जांच अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचता है, तो नौकरानी वहां नहीं हो सकती है। एक छोटे बच्चे की मौत के सदमे के कारण अन्य लोग इस तथ्य का उल्लेख करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अभियोजन पक्ष का मामला अन्यथा पीडब्ल्यू.7 और पीडब्ल्यू.8 के बयानों से स्थापित होता है, जिनके पास आरोपी को गलत तरीके से फंसाने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, इन परिस्थितियों में हम उठाए गए विवाद में

कोई दम नहीं ढूंढ पा रहे हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा नौकरानी से पूछताछ न करने के लिए अभियोग पक्ष के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के इच्छुक नहीं हैं।

(18) एक अन्य प्रासंगिक कारक जिस पर न्यायालय को मामले का परीक्षण करते समय विचार करना है जैसा कि वर्तमान अपील के किसी भी पक्ष द्वारा साबित किया गया है, उद्देश्य है। इसमें केवल एक संदर्भ है कि आरोपी अपनी जुड़वां बेटियों की मृत्यु के बाद साधु-संतों के पास जा रही थी और साधन ढूंढ रही थी ताकि उसे एक बच्चे का आशीर्वाद मिल सके। अभियोग पक्ष के नेतृत्व में पीडब्ल्यू 7 के इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ठोस और निश्चित सबूत नहीं है। संभवतः आरोपी के लिए ऐसा अपराध करने का प्रलोभन हो सकता है। लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कोई मकसद स्थापित नहीं किया गया है। मकसद अपने आप में एकमात्र मानदंड नहीं है जो अदालत द्वारा आरोपी के खिलाफ अपराध के निष्कर्ष की रिकॉर्डिंग को प्रभावित करेगा। यह एक प्रासंगिक कारक है। मकसद अभियोग पक्ष के मामले को महत्वपूर्ण रूप से या सीमित सीमा तक समर्थन दे सकता है। केवल उद्देश्य की स्थापना एक दोषसिद्धि को आधार

बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। सुबिमल सरकार बनाम शचीन्द्र नाथ मंडल और अन्य[1] **के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है ।**

(19) इस अवधारणा का दूसरा पहलू आरोपी को गलत तरीके से फंसाने में शिकायतकर्ता पक्ष का इरादा है। यह एक स्वीकार किया गया मामला है कि पार्टियों के बीच संबंध अच्छे थे और जिस दिन से उन्होंने परिसर में रहना शुरु किया, उस दिन से किसी भी समय कोई विवाद नहीं हुआ, पार्टियों के बीच कोई दुश्मनी तो बिल्कुल भी नहीं थी। यह सवाल कि शिकायतकर्ता ने आरोपी को झूठा क्यों फंसाया, कल्पना से जवाब दिया जाना बाकी है क्योंकि आरोपी भी इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण या सुझाव नहीं देता है। मामले की परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर पेश किए गए सबूतों में इस दोहरे परीक्षण को संतुलित करते हुए अदालत के लिए इस मामले में आरोपी के झूठे निहितार्थ का अनुमान लगाना मुश्किल है।

---

[1] **जे टी 2003 (1) एस सी 72**

एमएसटी परिमलम बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार) (पृष्ठ 28)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

(20) मकसद एक आपराधिक कृत्य की एक अनिवार्य पूर्व-आवश्यकता नहीं है। यह सार्वभौमिक रूप से नहीं कहा जा सकता है कि एक उद्देश्य के बिना कोई आपराधिक अपराध नहीं किया गया होगा। यहां तक कि अगर अभियोजन पक्ष अपराध करने के मकसद या मजबूत मकसद को साबित करने में सक्षम नहीं है, तो यह उसके मामले के लिए घातक साबित नहीं होगा। हम हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम जीत सिंह[2] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उपयोगी रूप से उल्लेख कर सकते हैं, जहां न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया था:-

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह याद रखना एक ठोस सिद्धांत है कि प्रत्येक आपराधिक कृत्य एक मकसद के साथ किया गया था, लेकिन इसका परिणाम यह नहीं है कि कोई आपराधिक अपराध नहीं किया गया होता यदि अभियोग पक्ष इसे करने के लिए आरोपी के सटीक उद्देश्य को साबित करने में विफल रहा है। जब अभियोग पक्ष पीड़ित के प्रति अभियुक्त के लिए कुछ नाराज़गी की संभावना दिखाने में सफल रहा,

---

[2] 1999 (2) हालिया आपराधिक रिपोर्ट 167

एमएसटी परिमलम बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार) (पृष्ठ 29)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

तो अपराधी के दिमाग पर इस तरह के क्रोध को इस हद तक दर्ज करने में असमर्थता को अभियोग पक्ष की घातक कमजोरी नहीं माना जा सकता है। अभियोग पक्ष के लिए उस व्यक्ति के प्रति अपराधी के मानसिक स्वभाव के पूर्ण आयाम को उजागर करना लगभग असंभव है, जिसे उसने आहत किया था। इस संदर्भ में हम इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ (डॉ. ए.एस.आनंद, जे.- जैसा कि उस समय विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे और न्यायमूर्ति थॉमस) द्वारा नथुनी यादव बनाम बिहार राज्य, 1978 (9) एससीसी 238 में की गई टिप्पणियों को निकाल सकते हैं:

अदालत ने कहा, 'आपराधिक कृत्य करने का मकसद आम तौर पर अभियोजन के लिए एक कठिन क्षेत्र होता है. एक व्यक्ति आमतौर पर दूसरे के दिमाग में नहीं देख सकता है। मकसद वह भावना है जो एक आदमी को किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। गंभीर अपराध करने के लिए जरूरी नहीं कि इस तरह के कारण आनुपातिक रूप से गंभीर हों। कई हत्याएं बिना किसी ज्ञात या प्रमुख उद्देश्य के की गई हैं। यह बहुत संभव है कि उपरोक्त प्रेरक कारक अज्ञात रहेगा। लॉर्ड चीफ जस्टिस

एमएसटी परिमलम बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार) (पृष्ठ 30)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

चैंपबेल ने आर.वी. पामर (पी.308 सीसीसी एमएयू 1856 पर शॉर्टहैंड रिपोर्ट) में सावधानी बरतते हुए कहा:

उन्होंने कहा, 'लेकिन क्या कोई मकसद है जिसे सौंपा जा सकता है, मैं आपको यह बताने के लिए बाध्य हूं कि उस मकसद की पर्याप्तता का बहुत कम महत्व है। हम आपराधिक न्यायालयों के अनुभव से जानते हैं कि इस प्रकार के अत्याचारी अपराध बहुत मामूली उद्देश्यों से किए गए हैं; न केवल द्वेष और बदले से, बल्कि एक छोटा सा आर्थिक लाभ हासिल करने के लिए, और कठिनाइयों को दूर करने के लिए।

पीठ ने कहा, 'हालांकि, यह एक ठोस प्रस्ताव है कि हर आपराधिक कृत्य एक मकसद से किया जाता है, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि इस तरह के किसी भी आपराधिक कृत्य को तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि मकसद साबित न हो जाए. आखिरकार, मकसद एक मनोवैज्ञानिक घटना है। केवल यह तथ्य कि अभियोग पक्ष आरोपी के मानसिक स्वभाव को सबूत में बदलने में विफल रहा, इसका मतलब यह नहीं है कि हमलावर के दिमाग में ऐसी कोई मानसिक स्थिति मौजूद नहीं थी।

एमएसटी परिमलम बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार) (पृष्ठ 31)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बाबू राम[3] **के मामले में उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय का भी संदर्भ दिया जा सकता है, जहां न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया था:-**

अदालत ने कहा, 'आपराधिक मामले में इस तरह का अंतराल लाने के लिए कोई कानूनी वारंट नहीं है जैसा कि अपराध करने के मकसद के लिए है । मकसद सभी आपराधिक मामलों में एक प्रासंगिक कारक है चाहे वह चश्मदीद गवाहों की गवाही या परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो। इस संबंध में सवाल यह है कि क्या अभियोग को विफल होना चाहिए क्योंकि यह मकसद साबित करने में विफल रहा या यहां तक कि क्या मकसद साबित करने में असमर्थता अभियोग पक्ष को किसी भी बोधगम्य सीमा तक कमज़ोर कर देगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि अभियोग पक्ष किसी उद्देश्य के अस्तित्व को साबित करता है, तो यह उसके लिए अच्छा और अच्छा होगा, विशेष रूप से परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर एक मामले में, क्योंकि, इस तरह के मकसद को तब परिस्थितियों में से एक के रूप में गिना जा सकता है। हालांकि, यह नहीं

[3] 2000 (2) हालिया आपराधिक रिपोर्ट 618

भुलाया जा सकता है कि किसी भी अभियोग पक्ष के लिए प्रतिवादी के दिमाग में क्या था, उसे रिकॉर्ड पर लाना आम तौर पर एक कठिन क्षेत्र है। भले ही जांच अधिकारी पूछताछ के माध्यम से इसे जानने में सफल रहे हों, जिन्हें कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण उनके द्वारा सबूत के रूप में नहीं रखा जा सकता है।

इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों पर उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, अभियोग पक्ष ठोस साक्ष्य द्वारा रिकॉर्ड पर यह दिखाने में सक्षम नहीं है कि अपराध करने के लिए आरोपी की ओर से कोई मजबूत मकसद था। फिर भी यह एक प्रासंगिक तथ्य बना रहेगा क्योंकि यह उपरोक्त परिस्थितियों से उभरता है।

(21) यह सच है कि अभियोग पक्ष इस तथ्य से बहुत अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है कि अभियुक्त डॉ. चिन्नादुरई के पति ने दो अलग-अलग व्यक्तियों, अर्थात् डॉ एन बालारमन पीडब्ल्यू 5 और वेद प्रकाश, निदेशक, करनाल पीडब्ल्यू के पीए को इकबालिया बयान दिया था। 6. ये न्यायेतर स्वीकारोक्ति डॉ. चिन्नादुरई द्वारा की गई थी, जो एक अभियुक्त थे, लेकिन 12 जनवरी, 1999 के विद्वान ट्रायल कोर्ट के आदेश से

बरी कर दिए गए थे। उक्त आदेश को राज्य द्वारा स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि इसे किसी भी समय राज्य द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। उस आदेश को अंतिम रूप दे दिया गया है। सह-अभियुक्त, जिसे बाद में मुकद्दमे के दौरान बरी कर दिया गया है, द्वारा किए गए न्यायेतर कबूलनामे का कोई परिणाम नहीं होगा और इसे वर्तमान अभियुक्त के खिलाफ उस अपमानजनक मूल्य से जोड़ा नहीं जा सकता है। वास्तव में उक्त बयान काफी हद तक वर्तमान अभियुक्त के खिलाफ अस्वीकार्य होंगे।

(22) डॉ. एन. बलार्मन की जांच पीडब्ल्यू 5 के रूप में की गई थी। उन्होंने कहा कि वह एनडीआरआई के डेयरी कैटल न्यूट्रीशन के प्रमुख थे और डॉ. परिमल्लम ने उनसे मुलाकात की थी और वह अपने दो बच्चों की मौत के बारे में बहुत परेशान थीं। उन्होंने आगे कहा कि अदालत में मौजूद डॉ. चिन्नादुरई आरोपी ने उन्हें अपने आवास पर बताया था कि उनकी पत्नी ने बच्चे को पानी की बाल्टी में डालकर घर के मालिक के बच्चे को मार डाला था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने उन्हें निदेशक के पास जाने और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। वेद प्रकाश निदेशक, एन.डी.आर.आई.

करनाल के निजी सहायक हैं। उनके अनुसार, आरोपी का पति उनके पास आया था और कहा था कि उसकी पत्नी ने हरीश चंदर की पोती की हत्या करके गलती की है और वह निदेशक से मिलना चाहता है। निदेशक व्यस्त थे और उन्होंने पूर्व पीएफ पर अपने हस्ताक्षरों की पहचान की यानी उनके द्वारा प्रभारी, पुलिस चौकी, सिविल लाइंस, करनाल को लिखे गए पत्र पीडब्ल्यू.5 और पीडब्ल्यू.6 के इन बयानों से पता चलता है कि आरोपी के पति ने इन गवाहों के सामने इकबालिया बयान दिया कि उसकी पत्नी ने गलती से हत्या कर दी थी। हालांकि, उन कबूलनामे का इस्तेमाल वर्तमान आरोपी के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। हम सुरेश बुधरमल कलानी उर्फ पप्पू कलानी बनाम महाराष्ट्र राज्य[4] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत इकबालिया बयान की स्वीकार्यता पर टिप्पणी करते हुए निम्नानुसार कहा था:

उन्होंने कहा, 'इस प्रकार हम डॉ. बंसल और जयवंत सूर्यराव द्वारा दिए गए कबूलनामे पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत, एक

[4] ए आई आर 1998 एस सी 3258

एमएसटी परिमलम बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार) (पृष्ठ 35)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

आरोपी का कबूलनामा प्रासंगिक है और सह-आरोपी के खिलाफ स्वीकार्य है यदि दोनों एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से मुकद्दमे का सामना कर रहे हैं। चूंकि, डॉ. बंसल को मामले से बरी कर दिया गया है और वह कलानी के साथ मुकद्दमे का सामना नहीं करेंगे, इसलिए उनके कबूलनामे का इस्तेमाल कलानी के खिलाफ नहीं किया जा सकता है।

(23) **कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[5] **के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के मूल निर्णय का उल्लेख करना भी उचित होगा, जहां न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया था:-**

"इस तरह के मामले तक पहुंचने का उचित तरीका यह है कि सबसे पहले, अभियुक्त के खिलाफ सबूतों को विचार से पूरी तरह से बाहर रखा जाए और देखा जाए कि क्या, यदि ऐसा माना जाता है, तो दोषसिद्धि सुरक्षित रूप से इसके आधार पर हो सकती है। यदि यह स्वीकारोक्ति से स्वतंत्र रूप से विश्वास करने में सक्षम है, तो निश्चित रूप से

[5] ए आई आर 1952 एस सी 159

सहायता में स्वीकारोक्ति को कॉल करना आवश्यक नहीं है। लेकिन ऐसे मामले उत्पन्न हो सकते हैं जहां न्यायाधीश अन्य सबूतों पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, भले ही, यह माना जाता है, यह दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होगा। ऐसी घटना में न्यायाधीश स्वीकारोक्ति में सहायता कर सकता है और इसका उपयोग अन्य सबूतों को आश्वासन देने के लिए कर सकता है और इस प्रकार खुद को यह विश्वास करने में मजबूत कर सकता है कि स्वीकारोक्ति की सहायता के बिना वह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा।

(24) विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष बहस के समय डॉ. चिन्नादुरई उसके समक्ष अभियुक्त नहीं थे। उसकी गवाही मामले में किसी सहयोगी की नहीं है। वह डीडब्ल्यू 1 के रूप में दिखाई दिए और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपनी पत्नी द्वारा पेश किए गए संस्करण का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वह कभी भी डॉ. एन. बालारमन पीडब्ल्यू. 5 से नहीं मिले और जिरह के दौरान दिए गए अन्य सुझावों से भी इनकार कर दिया।

हालांकि, उन्होंने कहा कि घटना की तारीख पर उनकी पत्नी यानी आरोपी उनके कार्यालय में आई और उन्हें घटना के बारे में सूचित किया। इसके बाद, वह और उनकी पत्नी घटना के बारे में पूछताछ करने के लिए डॉ. आनंद के घर आए। उस समय सभी पड़ोसी वहां जमा हो गए थे और पुलिस भी पहुंच गई थी। मृतक गोल्डी के परिवार के सदस्यों ने उसे और उसकी पत्नी को गाली देना शुरु कर दिया। इसके बाद, वे अपने कार्यालय वापस आए और आशंका जताई कि उन्हें किसी मामले में फंसाया जा सकता है, उन्होंने कुछ ज्ञात व्यक्तियों से संपर्क किया। उनके निदेशक उपलब्ध नहीं थे क्योंकि उन्हें नाइजीरियाई व्यक्तित्वों में भाग लेना था।

(25) उपर्युक्त कानून के आलोक में, आरोपी के पति द्वारा पीडब्ल्यू 5 और पीडब्ल्यू 6 को दिए गए बयानों को अभियुक्त के कबूलनामे के रूप में नहीं माना जा सकता है और न ही वे सह-अभियुक्त के बयान के रूप में स्वीकार्य होंगे। हालांकि, ऐसी परिचारक परिस्थितियां हैं जो अभियोग पक्ष के मामले का पर्याप्त समर्थन करती हैं। डॉ. एन. बलार्मन पीडब्ल्यू 5 एन.डी.आर.आई. में विभाग के प्रमुख हैं, जबकि वेद प्रकाश पीडब्ल्यू

6 एन.डी.आर.आई के निदेशक के निजी सहायक हैं। इस प्रकार, न्यायालय के लिए इन बयानों को पूरी तरह से दरकिनार करना और उन्हें अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि करने वाले कारक के रूप में नोटिस नहीं करना संभव नहीं है, खासकर जब उनके पास अदालत के सामने गलत तरीके से गवाही देने या अपने ही सहयोगी को गलत तरीके से फंसाने का कोई मकसद नहीं होगा।

(26) हमारा सुविचारित विचार है कि दो चश्मदीद गवाहों के आधार पर, चिकित्सा साक्ष्य और अन्य परिचर परिस्थितियों द्वारा पुष्टि की गई है और यह तथ्य भी कि अभियोजन मामले के कुछ हिस्सों को स्वीकार किया गया है और आरोपी और यहां तक कि उसके पति का डीडब्ल्यू 1 के रूप में बयान अभियोग पक्ष के मामले के अनुरूप है, हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अभियोग पक्ष किसी भी उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में सक्षम रहा है।

एमएसटी परिमलम बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार) (पृष्ठ 39)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

(27) परिणामस्वरूप, हम दोषसिद्धि और सज़ा पर ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हैं और आरोपी-अपीलकर्ता द्वारा पसंद की गई इस अपील को खारिज करते हैं।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता महाजन

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कैथल, हरियाणा